तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 11/2024 बउनवान मीरखां का. मु. श्रीमती सुरगी वगै. बनाम शौकत अली वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 13.10.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री विजेन्द्र कुमार।
2. रेस्पों. संख्या 01 श्री शौकत अली स्वयं उपस्थित।
3. रेस्पों. संख्या 04 की तरफ से अधिवक्ता श्री मुकंद सिंह भाटी।
4. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्गण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों. द्वारा एक अवमानना याचिका/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय ने बिना किसी विधिक तथ्यों की जांच किये ही दर्ज कर दिया है। शौकतअली दावे में पक्षकार नहीं है। इनके द्वारा दावे मे विचारण के दौरान प्रार्थना–पत्र 01 नियम 10 का प्रार्थना–पत्र लगाया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध पाये जाने पर खारिज कर दिया था। बिना पक्षकार बने ही अवमानना याचिका किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर नहीं की जा सकती है। क्योंकि रेस्पों. संख्या 1 हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने के कारण अवमानना का प्रार्थना–पत्र दायर नहीं कर सकता है। रेस्पों. संख्या 1 हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 104 से कोई संबंध नहीं है। प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में सेक्शन तक का हवाला नहीं दिया गया है। बिना पक्षकार के ही अवमानना प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2024 को बिना किसी विधिक तथ्यों के ही बिना विधिक पक्षकार के किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रार्थना–पत्र को दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल हीं नहीं है। दस्तावेजात सही हैं या नहीं यह दावे में तय होगा। अपीलांट द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। रेस्पों. को मौका रिपोर्ट दिनांक 02.07.2025 द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का अतिक्रमी माना है। जिससे

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पों. संख्या 1 प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार साबित होता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। रेस्पों/प्रार्थी हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार नहीं है। विधि अनुसार अवमानना प्रार्थना–पत्र रेकार्डेड खातेदार एवं प्रभावित पक्षकार ही प्रस्तुत करने का अधिकारी होता है। हस्तगत प्रकरण में उक्त तथ्यों का अभाव प्रतीत होता है, क्योंकि रेस्पों. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 का प्रस्तुत किया था जिसे खारिज कर दिया गया। अपीलाधीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर्ता हस्तगत प्रकरण का प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकरी प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 को अपास्त किया जाता है। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

13/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर